

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3056

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा तारांकित प्रश्न D.No. 7141 (Revised 1) Infrastructure Development and Modernisation of Sports Facilities दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 23.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The current status of the upgradation and modernization of sports Infrastructure at National Centers of Excellence (NCOE), Training Centers and Regional Centers under the Sports Authority of India (SAI) across the country, including in Karnataka particularly Bengaluru, Odisha and Rajsamand Lok Sabha constituency;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The total number of such centers currently operational, along with details of the sports disciplines offered and the sanctioned strength of athletes being trained at each center in the country including Himachal Pradesh and Odisha particularly athletes from Keonjhar;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The total investment sanctioned for the modernization of Sports Science facilities including Biomechanics, Sports Medicine, Nutrition including Performance Analysis and the timeline set for extending these facilities to emerging sports hubs, including Bengaluru and aspirational and tribal districts such as Keonjhar in Odisha;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether the Government proposes to establish any centers or infrastructure projects particularly in Maharashtra including Jalgaon Lok Sabha constituency, if so, the details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	Whether any roadmap or outcome-based assessment framework has been established to evaluate the impact of infrastructure and sports science upgrades on athlete performance and international competitiveness, if so, the details thereof; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(f)	The progress made in sports facilities and basic infrastructure during the last two years across the country, particularly in Rajasthan including the Jalore and Sirohi districts, Jharkhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and North-East States?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,



(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3057

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा तारांकित प्रश्न D.No7123 (Revised 1) Travel Facilities and Free Rail

Quota for Sports Persons दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बाबत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 23.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether it is a fact that a group of young wrestlers from Odisha, who were going to participate in a national-level sporting event, were compelled to travel in general compartments of a train and allowed to sit near toilet areas due the absence of their confirmed rail tickets, if so, the details of the circumstances leading to such travel arrangements;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether the Government has any existing policy or quota available with Indian Railways to facilitate travel for sportspersons representing States or institutions at national and inter-State sporting competitions and if so, the details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	If not, the reasons for the absence of such a mechanism; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether the Government proposes to consider the introduction of a dedicated travel quota for athletes travelling for national sporting events?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,


(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)
कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3058

दिनांक: 17/10/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक No. 8186 Implementing NSS in Schools and Colleges दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The number of schemes like the National Service Scheme (NSS) which are being implemented in schools and Colleges of various States and Union Territories especially in Maharashtra, to instil a sense of patriotism among youth;	संस्थान में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई वर्ष 2019 से स्थपित है।
(b)	The number of boys and girls who have enrolled for such training in the country particularly in Maharashtra;	संस्थान में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई में छात्र -55 एवं 45 छात्राये पंजीकृत है।
(c)	The schemes run by the Nehru Yuva Kendra Sangathan (NYKS) so far to provide employment-oriented training to youth in Maharashtra, and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether any annual plan has been prepared under the NYKS for youth leadership training camps and if so, the details thereof?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3059

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक No. 8483 Youth Entrepreneurship

Initiatives under PMKVY 4.0 दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The entrepreneurship-focused initiatives implemented during the year 2025 under schemes such as PMKVY 4.0, the Entrepreneurship Development Programme and allied skilling-cum-enterprise support frameworks;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The number of youth who have established enterprises or accessed structured entrepreneurship support;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The role of institutional partnerships with Startup India, financial institutions and incubation centers in enabling enterprise creation and scalability; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether the Government proposes any targeted incentives, sector-specific support or convergence measures to further strengthen sustainable youth entrepreneurship outcomes and if so, the details thereof?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3060

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारंकित प्रश्न डायरी क्रमांक No. 8206 Khelo Bharat Niti and National Sports Policy, 2025

दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The key objectives, priority areas, and phased implementation timeline of the National Sports Policy, 2025 under the Khelo Bharat Niti, particularly for sports development in tribal areas;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The three-year targets fixed for strengthening grassroots sports infrastructure, including district-level sports centres, identification of players and training of coaches, State/UT-wise, especially in Rajasthan, particularly in Pali Lok Sabha constituency, for tribal areas and in the Nabarangpur Lok Sabha Constituency and Maharashtra;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The manner in which the policy envisages long-term athlete development and structured preparation for the 2036 Olympic Games, including identified priority disciplines, high-performance training and provisions for athletes from the Nabarangpur Lok Sabha Constituency;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether any district-level interventions are planned for the Jalgaon Lok Sabha constituency to promote rural and school-level sports participation;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	Whether performance benchmarks or a monitoring mechanism or evaluation framework notified to assess outcomes under the policy, particularly for tribal areas and the Nabarangpur Lok Sabha Constituency, and, if so, the details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(f)	Whether the Government has taken any steps to strengthening sports infrastructure, talent identification and training facilities in Delhi, particularly in the North-East Delhi Lok Sabha Constituency, if so, the details thereof; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(g)	Whether the Government proposes to establish an international-level sports training center or Sports Authority of India (SAI) sub-centre in Bhiwani-Mahendergarh Lok Sabha Constituency, which has produced national-level boxers and wrestlers?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,



(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3061

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारंकित प्रश्न डायरी क्रमांक No. 8181 Reservation in Mera Yuva Bharat

Volunteers दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The number and percentage of National Volunteers belongs to SC,ST,OBC, EWS category selected under MERA YUVA BHARAT erstwhile Nehru Yuva Kendra (NYK) districts, state/UTs wise and category wise particularly in kaimur and rohtas district of Sasaram Lok Sabha constituency;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether the Government is aware that due to non-implementation of reservation policy in the selection process of national volunteer under MERA YUVA BHARAT, the numbers and percentage of SC ST OBC volunteers are very low and if so, whether the Government proposes to implement reservation policy in the selection process of national volunteer and if not, the reason therefor; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether the Government has any plan to conduct special drives/advertisement to fill up vacancies reserved for SC,ST,OBC,EWS categories in the selection process of national volunteer and if so, the timeline therefor and if not, the reason therefor?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmbai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3062

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा तारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक No. 7632 Establishment of Sports University in Kerala दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether the Government has received any proposal or representation from the Government of Kerala or any other agency for the establishment of a Sports University in the State of Kerala;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	If so, the details thereof and the present status of the proposal;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether the Government has any plan to establish a Central Sports University or extend assistance for setting up a Sports University in Kerala; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The steps taken or proposed to be taken by the Government to promote sports education and sports infrastructure in Kerala?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,



(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3063

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक No. 8140 Formula One in India

दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-


क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether the Government intends to bid for formula one in the near future and if so, the details thereof and if not, the reason therefore;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether the Government is trying to acquire the Budd International Circuit and if so, the details thereof; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The details of number of Formula One or Karting related championships held by National Sports Federation during the last 11 years, year-wise?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,



(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफए-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3064

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक No. 7099 (Revised 2) Status of Stadiums in Gujarat दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The total number of outdoor and indoor sports stadiums constructed in Gujarat particularly in Northern Gujarat during the last three years and the current year;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether the Government proposes to construct new outdoor and indoor sports stadiums in Northern Gujarat, including the Mahesana Lok Sabha Constituency; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	If so, the time by which it is likely to be done?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,



(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmbai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3065

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा तारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक No7611 Schemes for Youth in Rural/ Backward Areas दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The schemes being implemented by the Union Government to connect youth with sports in the rural and backward areas of the country and the number of youths who have received training under them;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The number of sports training camps, tournaments and academies conducted under these schemes in the rural areas of Rajasthan; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The number of youths who have benefited under these schemes in Tonk-Sawai Madhopur Lok Sabha constituency and the new initiatives proposed for the expansion of sports activities in the area and if so, the details thereof?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,



(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी





लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3066

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा तारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 7291 Sports Infrastructure in Sixth Schedule Districts of Assam दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether the Government has conducted any assessment of the existing sports infrastructure in the Sixth Schedule districts of Karbi Anglong and Dima Hasao in Assam;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The details of sports infrastructure projects sanctioned, completed and ongoing in these districts under the Khelo India Scheme and the Assistance to National Sports Federations during the last five years, year-wise;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether the Government proposes to establish multipurpose indoor stadiums, synthetic athletic tracks, football turfs, and residential sports academies in these hill districts considering their tribal youth population and sporting potential and if so, the details thereof; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether any special financial allocation or relaxation in norms is provided for infrastructure development in Sixth Schedule or geographically remote and hilly areas, and if so, the details thereof?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3067

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा तारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 7504 Khelo India Fund Utilization

दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether the record allocation of Rs. 1000 crore to Khelo India during the year 2025-26 certain allocated funds Rs. 122.30 crore were returned and 38-79 crore were diverted and remained unspent or were re-purposed, reducing grassroots impact;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	If so, the details thereof, if not the reasons therefor; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The corrective steps taken/proposed to be taken and the timeline fixed by the Government to ensure full utilisation of budget allocation for infrastructure and athlete support?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यत्नेन्द्र कुमार सिंह 140326

(प्रो. यत्नेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3068

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक दिनांक 8133 Promoting Women's Participation in Sports 09.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The key schemes and initiatives implemented by the Union Government during the last five years to promote women's participation in sports;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The details of funds allocated and released under these schemes during the last five years, State/UT-wise, including the share for Tamil Nadu;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The number of women athletes who have benefited from these programmes during the said period, State-wise; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The steps taken by the Government to enhance financial assistance, training infrastructure and talent-identification support for women sportspersons, particularly in States like Tamil Nadu?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र सिंह 140326

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/3069

दिनांक: 17/10/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 8378 Development of Sports Infrastructure in Darbhanga दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

बिन्दु क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether any scheme is proposed by the Government to establish any national-level sports stadium or multipurpose sports complex in Darbhanga:	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	If so, whether establishment of any sports academy or sports training center to provide training to the youth and rising players of the region is being considered and if so, the details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether there is any scheme to extend mini stadiums, open gyms and sports facilities to promote sports talent in rural areas, if so, the details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether there is any specific scheme proposed to provide incentives and training facilities to women players; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	If so, the details thereof and expected timeframe?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र कुमार सिंह

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3070

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 8434 Sports Infrastructure in District- Level दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The number of district-level sports infrastructure projects approved or developed during the last three years;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether district-wise data on sports infrastructure and athlete training is maintained;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	If so, the details thereof, including facilities established or upgraded in Uttar Pradesh; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The steps taken/being taken by the Government to strengthen grassroots sports development and talent identification across districts?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र सिंह 140326

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3071

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 8440 Renaming of Sports

Stadiums दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether the Government maintains data on sports stadiums whose name have been changed during the last 11 years;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	If so, the details of such stadiums along with their new and old name and the sports they are associated with; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The stadium-wise details of expenditure incurred on such if any, change of name?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र कुमार सिंह, 140326

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3072

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारंकित प्रश्न डायरी क्रमांक 8625 Financial Assistance for para-athletes in Tamil Nadu दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

बिन्दु क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether the Government has reviewed the availability and adequacy of training facilities, sports infrastructure, coaching support, and financial assistance for para-athletes in Tamil Nadu;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The number of para-athletes from the State supported under Central schemes such as Khelo India, Target Olympic Podium Scheme (TOPS), and other assistance programmes during the last three years;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The amount of funds allocated and utilised for development of para-sports infrastructure and training centers in the State during the last three years; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The steps taken/being taken by the Government to establish accessible training facilities ensure equal opportunities and enhance participation and medal prospects of said athletes from Tamil Nadu in national and international competitions?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,



(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफए-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3073

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 8627 Traditional Rural and Tribal Games दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

बिन्दु क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether the Government has identified and documented traditional rural and tribal games of Tamil Nadu, such as Silambam, Sadugudu and Vallam Kali, for promotion under the Khelo India programme, if so, the details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether any specific initiatives have been undertaken to integrate rural and tribal youth from Tamil Nadu into Khelo India talent identification and training pathways, particularly in tribal and remote districts, if so, the details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether the Government has collaborated with educational institutions, local sports bodies and community organizations in Tamil Nadu to preserve and promote indigenous games at district, State or national levels under Khele India, if so, the details thereof; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether traditional games from Tamil Nadu have been included or proposed for inclusion in Khelo India events or demonstration categories and if so, the details thereof?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,



(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3074

दिनांक: 17/10/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 8655 Promotion of Traditional and Indigenous Sports दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

बिन्दु क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether the Government has taken any steps or formulated any policy for the preservation, promotion and development of traditional and indigenous sports in the country;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	if so, the details thereof, including the number of athletes trained and supported; the infrastructure created, the financial assistance provided to athletes and coaches, the total funds allocated and utilised and the coaching facilities provided for traditional sports, sport-wise and State/UT-wise;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether the Government has any plan to promote awareness and popularise traditional and indigenous Indian sports at the global level and if so, the details thereof; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether the Government proposes to further expand initiatives for the promotion of traditional sports and if so, the details thereof, including the proposed timeline, projected outlay and the steps planned in this regard?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,



(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिमूचना क्रमांक एफए-14/92-यू३ दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3075

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा तारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 7479 Support to Tribal Youth in Youth दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

बिन्दु क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether the tribal youth Jaipur Lok Sabha constituency in Odisha have shown remarkably performance in various sports and games and represented the State and the country at national and international levels;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	If so, the details thereof; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The steps taken/being taken by the Government to promote and support Tribal youth of Jaipur District of Odisha in the field of sports?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,


(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)
कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmbai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3076

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा तारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 7246 Khelo India Policy-2025

दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The special provisions made under the Khelo India Policy-2025 for sports infrastructure, coaches and talent identification for hilly states like Himachal Pradesh and in Shimla Lok Sabha Constituency;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The number of district-level sports centres, sportspersons to be identified and coaches to be trained in Himachal Pradesh during the next three years and the current years; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether there is any proposal to establish an altitude-training/winter sports center in Shimla region in preparations for the 2036 Olympics and if so, the details thereof?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,



(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/3077

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा तारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 7261 Establishment of Sports University and shortage of Coaches दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The details of the names of the states in which sports universities are being opened and whether there is any such proposal for any district of Uttar Pradesh particularly for Chandauli, if so, the details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether sports training in many rural areas is hampered due to a severe shortage of sports coaches and if so, the Government strategy and training of coaches;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether the Government has assessed the major obstacles in nurturing sports talents in rural India and if so, the details thereof; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether the Government has considered to set up sports training centers in tribal dominated hilly areas like Chandauli and if so, the details thereof?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

२१/०३/२६

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3078

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा तारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 7411 National Sports Talent Competition

दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

बिन्दु क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether the children aged 8 to 14 years are identified and trained under the National Sports Talent Competition (NSTC);	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	If so, the number of schools in Madhya Pradesh, Maharashtra and the district of Dadra Nagar Haveli affiliated with the said scheme along with the number of sports talents identified there;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether the reach of the said scheme is extremely limited in the rural and semi-urban areas of the said States and the said district with severe shortage of training facilities and qualified coaches;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether the Government is formulating a concrete action plan to establish special sports nurseries, develop better coaching infrastructure and make the selection process more transparent and comprehensive in Maharashtra, Union Territory of Dadra Nagar Haveli and Khandwa Lok Sabha Constituency of Madhya Pradesh; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	If so, the details thereof in respect of the said States along with the roadmap prepared in this regard ?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतन्द्र 140326

(प्रो. यतन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफए-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3079

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा तारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 7552 Internship Policy for

Promotion of Sports Ecosystem दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The key features and objectives of the overall internship policy launched in December 2025 for sports ecosystem;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The details of eligible internship areas such as sports science, anti-doping, event management and player support services along with the institutional partners involved therein;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The mechanisms implemented for transition toward monitoring, certification, and formal roles for the interns who complete the program; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether the Government proposes to develop outcome indicators to evaluate the long-term impact of the internship policy on employability and sports professionalisation, and if so, the details thereof?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र सिंह, 140326
(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3080

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 8160 Cluster Development Strategy for Sports Goods Hubs दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

बिन्दु क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether the operational guidelines, eligibility criteria and application procedures have been established for newly created Rs. 500 crore fund supporting the sports goods manufacturing sector development, if so, the details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether cluster-specific development strategies have been formulated for traditional manufacturing hubs particularly in Madhya Pradesh and Maharashtra;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The details of the technology upgradation schemes, export competitiveness enhancement measures and design innovation grants available under the dedicated fund;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	the impact of the skill development programmes and linkages established with local youth for sports equipment manufacturing and quality control jobs; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	Whether anchor industry commitments secured through public-private partnerships for scaling domestic sports goods production capacity and if so, the investment commitments, employment generation targets and export revenue projections thereof?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र कुमार सिंह 17/03/26

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3081

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 8183 New NCoEs Proposal दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The total number of National Centers of Excellence (NCOE) functioning under the Sports Authority of India (SAI) along with their location-wise details;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The number of athletes currently training at each NCoE, sport-wise and centre-wise respective states to which they belong;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether the Government proposes to establish any new NCoEs in the country and if so, the details thereof; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The guidelines, eligibility criteria and prerequisites prescribed by the Government/SAI for establishing and operationalising a National Center of Excellence?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3082

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 8476 Infrastructure Development and Modernisation of Sports Facilities दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether any proposal has been received or is under consideration for establishing a Sports Authority of India Training Centre, Regional Centre, or sports science facility in Dakshina Kannada district of Karnataka, and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	If so, the details thereof?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

20/03/26

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ **3083**

दिनांक: **17 103/26**

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारंकित प्रश्न डायरी क्रमांक 8704 Fees Relaxation for Other Backward in Sports Centers दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

बिन्दु क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether the trainees from Other Backward Classes are being provided fees relaxation in the centers providing training for national sports competitions;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	If so, the details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether the trainees from the said Classes and Scheduled Castes are being provided the fees exemption for usage of training equipment's and if so, the details thereof; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The number of participants participating in different sports at national level?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र सिंह 2140326

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी

22



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3084

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 223 Status of Stadiums in Gujarat दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 03.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The total number of outdoor and indoor sports stadiums constructed in Gujarat particularly in Northern Gujarat during the last three years and the current year;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether the Government proposes to construct new outdoor and indoor sports stadiums in Northern Gujarat, including the Mahesana Lok Sabha Constituency; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	If so, the time by which it is likely to be done?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र सिंह 17/03/26

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3085

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 231 Travel Facilities for Sports Persons

दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 03.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether it is a fact that a group of young wrestlers from Odisha, who were going to participate in a national-level sporting event, were compelled to travel in general compartments of a train and forced to sit near toilet areas due the absence of their confirmed rail tickets, if so, the details of the circumstances leading to such travel arrangements;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether the Government has any existing policy or quota available with Indian Railways to facilitate travel for sportspersons representing States or institutions at national and inter-State sporting competitions and if so, the details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	If not, the reasons for the absence of such a mechanism; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether the Government proposes to consider the introduction of a dedicated travel quota for athletes travelling for national sporting events?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,



(प्रो. यशेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी





लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/3086

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 239 Infrastructure Development and Modernization of Sports Facilities दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 03.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

बिन्दु क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The current status of the upgradation and modernization of Sports Infrastructure at National Centers of Excellence (NCoEs), Training Centers and Regional Centers under the Sports Authority of India (SAI) across the country, including in Karnataka particularly Bengaluru, Odisha and Rajsamand Lok Sabha Constituency;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The total number of such centers currently operational, along with details of the sports disciplines offered and the sanctioned strength of athletes being trained at each center in the country including Himachal Pradesh and Odisha particularly athletes from Keonjhar;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The total investment sanctioned for the modernization of Sports Science facilities including Biomechanics, Sports Medicine, Nutrition along with Performance Analysis and the timeline set for extending these facilities to emerging sports hubs, particularly Bengaluru and aspirational and tribal districts such as Keonjhar in Odisha;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether the Government proposes to establish any centers or infrastructure projects particularly in Maharashtra including Jalgaon Lok Sabha Constituency, if so, the details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	Whether any roadmap or outcome-based assessment framework has been established to evaluate the impact of infrastructure and sports science upgrades on athlete performance and international competitiveness, if so, the details thereof; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(f)	The progress made in sports facilities and basic infrastructure during the last two years across the country, particularly in Rajasthan including the Jalore and Sirohi districts, Jharkhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and North-East States?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेश्वर सिंह 14/03/26

(प्रो. यतेश्वर कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार/मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3087

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2564 Enrollment of national Service दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 03.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

बिन्दु क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The details of enrolment of volunteers under the National Service Scheme (NSS) during the last five years, indicating University/College and Higher Secondary/Senior Secondary level year and State/UT-wise;	संस्थान में पंजीकृत राष्ट्रीय स्वयं सेवकों की संख्या निम्नानुसार है:- 2021-22 - 100 2022- 23 - 100 2023-24 - 100 2024-25 - 100 2025-26 - 100
(b)	The details of funds released to various States under NSS during the last three financial years and the current year; year -wise;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The expenditure reported under NSS during the said period, State/UT and year-wise; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The number of NSS units functioning across States during the said period, year-wise?	संस्थान में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई वर्ष 2019 से स्थापित है।

भवदीय,

यत्नेन्द्र कुमार सिंह 21/03/26

(प्रो. यत्नेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3088

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2568 Formula One in India दिनांक

09.03.2026 की जानकारी बावत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 03.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether the Government intends to bid for formula one in the near future and if so, the details thereof and if not, the reason therefore;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether the Government is trying to acquire the Buddh International Circuit and if so, the details thereof; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The details of number of Formula One or Karting related championships held by National Sports Federation during the last 11 years, year-wise?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,



(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित।)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3089

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक 2578 Reservation in Mera Yuva Bharat

Volunteers दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 03.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

बिन्दु क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The number and percentage of National Volunteers belongs to SC,ST, OBC, EWS categories selected under Mera Yuva Bharat erstwhile Nehru Yuva Kendra (NYK) districts, state/UTs wise and category -wise particularly in Kaimur and Rohtas district of Sasaram Lok Sabha constituency;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether the Government is aware that due to non-implementation of reservation policy in the selection process of national volunteer under Mera Yuva Bharat, the numbers and percentage of SC, ST, OBC volunteers are very low and if so, whether the Government proposes to implement reservation policy in the selection process of national volunteer and if not, the reason therefor; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether the Government has any plan to conduct special drives/advertisement to fill up vacancies reserved for SC,ST,OBC,EWS categories in the selection process of national volunteer and if so, the timeline therefor and if not, the reason therefor?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,



(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3090

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2579 New NCoEs Proposal दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 03.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The total number of National Centers of Excellence (NCOE) functioning under the Sports Authority of India (SAI), location-wise;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The number of athletes currently get training at each NCoE, sports and centre-wise of the respective States which they belong;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether the Government proposes to establish any new NCoEs in the country and if so, the details thereof; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The guidelines, eligibility criteria and prerequisites prescribed by the Government/SAI for establishing and operationalising a National Center of Excellence?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र कुमार सिंह 7/40226

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3091

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक 2581 Implementing NSS in Schools and Colleges दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 03.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The number of schemes like the National Service Scheme (NSS) which are being implemented in schools and Colleges of various States and Union Territories especially in Maharashtra, to instil a sense of patriotism among youth;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The number of boys and girls who have enrolled for such training in the country particularly in Maharashtra;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The schemes run by the Nehru Yuva Kendra Sangathan (NYKS) so far to provide employment-oriented training to youth in Maharashtra, and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether any annual plan has been prepared under the NYKS for youth leadership training camps and if so, the details thereof?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,



(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3092

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2586 Khelo Bharat Niti and National Sports Policy, 2025 दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 03.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The key objectives, priority areas, and phased implementation timeline of the National Sports Policy, 2025 under the Khelo Bharat Niti, particularly for sports development in tribal areas;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The details of three-year targets fixed for strengthening grassroots sports infrastructure, including district-level sports centres, identification of players and training of coaches for the next three years, State/UT-wise, particularly in Pali and Nabarangpur Lok Sabha constituency for tribal areas;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The manner in which the policy envisages long-term athlete development and structured preparation for the 2036 Olympic Games, including identified priority disciplines, high-performance training and provisions for athletes from the Nabarangpur Lok Sabha Constituency;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether any district-level interventions are planned for the Jalgaon Lok Sabha constituency to promote rural and school-level sports participation;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	Whether performance benchmarks or a monitoring mechanism or evaluation framework have been notified to assess outcomes under the policy, particularly for tribal areas and the Nabarangpur Lok Sabha Constituency, and, if so, the details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(f)	Whether the Government has taken any steps to strengthening sports infrastructure, talent identification and training facilities in Delhi, particularly in the North-East Delhi Lok Sabha Constituency, if so, the details thereof; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(g)	Whether the Government proposes to establish an international-level sports training center or Sports Authority of India (SAI) sub-centre in Bhiwani-Mahendergarh Lok Sabha Constituency?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,


(प्रो. यशेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3093

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक 2632 Development of Sports Infrastructure in

Darbhangha दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 03.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether any scheme is proposed by the Government to establish any national-level sports stadium or multipurpose sports complex in Darbhanga:	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	If so, whether establishment of any sports academy or sports training center to provide training to the youth and rising players of the region is being considered and if so, the details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether there is any scheme to extend mini stadiums, open gyms and sports facilities to promote sports talent in rural areas, if so, the details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether there is any specific scheme proposed to provide incentives and training facilities to women players; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	If so, the details thereof and expected timeframe for the implementation?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3094

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

**विषय:- लोक सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2646 Sports Infrastructure in District-
Level दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।**


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 03.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-


क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The number of district-level sports infrastructure projects approved or developed during the last three years and the current year;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether district-wise data on sports infrastructure and athlete training is maintained;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	If so, the details thereof, including facilities established or upgraded in Uttar Pradesh; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The steps taken/being taken by the Government to strengthen grassroots sports development and talent identification across districts?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,



(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3095

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक 2649 Renaming of Sports Stadiums

दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 03.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether the Government maintains data on sports stadiums whose name have been changed during the last 11 years;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	If so, the details of such stadiums along with their new and old name and the sports they are associated with; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The stadium-wise details of expenditure incurred, on such change of name, stadium-wise?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,



(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3096

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2659 Infrastructure Development and Modernisation of Sports Facilities दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 03.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether any proposal has been received or is under consideration for establishing a Sports Authority of India Training Centre, Regional Centre, or sports science facility in Dakshina Kannada district of Karnataka, and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	If so, the details thereof?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,



(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior
Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)
Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3097

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2678 Sports Infrastructure in Sixth Schedule

Districts of Assam दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 03.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether the Government has conducted any assessment of the existing sports infrastructure in the Sixth Schedule districts of Karbi Anglong and Dima Hasao in Assam;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The details of sports infrastructure projects sanctioned, completed and ongoing in these districts under the Khelo India Scheme and the Assistance to National Sports Federations during the last five years, and the current year, year-wise;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether the Government proposes to establish multipurpose indoor stadiums, synthetic athletic tracks, football turfs, and residential sports academies in these hill districts considering their tribal youth population and sporting potential and if so, the details thereof; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether any special financial allocation or relaxation in norms is provided for infrastructure development in Sixth Schedule or geographically remote and hilly areas, and if so, the details thereof?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,



(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmbai National Institute of Physical Education, Gwalior
Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)
Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3098

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2696 Promotion of Traditional and Indigenous

Sports दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 03.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether the Government has taken any steps or formulated any policy for the preservation, promotion and development of traditional and indigenous sports in the country;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	if so, the details thereof, including the number of athletes trained and supported, the infrastructure created, the financial assistance provided to athletes and coaches, the total funds allocated and utilised and coaching facilities provided for traditional sports, sport and State/UT-wise;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether the Government has any plan to promote awareness and popularise traditional and indigenous Indian sports at the global level and if so, the details thereof; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether the Government proposes to further expand initiatives for the promotion of traditional sports and if so, the details thereof, including the proposed timeline, projected outlay and the steps planned in this regard?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,



(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 3099

दिनांक: 17/103/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2700 Fees Relaxation for OBCs/SCs in Sports दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 03.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether the trainees from Other Backward Classes (OBCs) are being provided fees relaxation in the centers providing training for national sports competitions;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	If so, the details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether the trainees from the Scheduled Castes (SCs) are being provided the fees exemption for usage of training equipments and if so, the details thereof; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The number of candidates are being participated in different sports at national level?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 4000

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

**विषय:- लोक सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2714 Khelo India Policy-2025 दिनांक
09.03.2026 की जानकारी बावत।**


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 03.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The special provisions made under the Khelo India Policy-2025 for sports infrastructure, coaches and talent identification for hilly states like Himachal Pradesh and Shimla Lok Sabha Constituency;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The number of district-level sports centres, sportspersons to be identified and coaches to be trained in Himachal Pradesh during the current years and the next three years; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether there is any proposal to establish an altitude-training/winter sports center in Shimla region in preparations for the 2036 Olympics and if so, the details thereof?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,



(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior
Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)
Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 4001

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

**विषय:- लोक सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2718 Establishment of Sports University
and shortage of Coaches दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।**


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 03.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The details of the names of the States in which sports universities are being established and whether there is any such proposal for any district of Uttar Pradesh particularly for Chandauli, if so, the details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether sports training in many rural areas is hampered due to a severe shortage of sports coaches and if so, the details of the Government strategy and plan for training of coaches;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether the Government has assessed the major obstacles in nurturing sports talents in rural India and if so, the details thereof; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether the Government has considered to set up sports training centers in tribal dominated hilly areas like Chandauli and if so, the details thereof?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,



(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmbai National Institute of Physical Education, Gwalior
Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)
Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 4002

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2734 National Sports Talent Competition

दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 03.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether the children aged 8 to 14 years are identified and trained under the National Sports Talent Competition (NSTC);	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	If so, the number of schools in Madhya Pradesh, Maharashtra and the district of Dadra and Nagar Haveli affiliated with the said scheme along with the number of sports talents identified there;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether the reach of the said scheme is extremely limited in the rural and semi-urban areas of the said States and district with severe shortage of training facilities and qualified coaches;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether the Government is formulating a concrete action plan to establish special sports nurseries, develop better coaching infrastructure and make the selection process more transparent and comprehensive in Maharashtra, Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Khandwa Lok Sabha Constituency of Madhya Pradesh; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	If so, the details of the roadmap prepared thereof?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,



(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmbai National Institute of Physical Education, Gwalior
Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)
Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 4003

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक 2745 Support to Tribal Youth in Odisha

दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 03.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether the tribal youth Jajpur Lok Sabha constituency in Odisha have shown remarkable performance in various sports and games and represented the State and the country at national and international levels;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	If so, the details thereof; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The steps taken/being taken by the Government to promote and support Tribal youth of Jajpur District of Odisha in the field of sports?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,



(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmbai National Institute of Physical Education, Gwalior
Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)
Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 4004

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2751 Utilization of Khelo India Fund

दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 03.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether Rs. 1000 crore has been allocated to Khelo India scheme during the year 2025-26;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	whether it is true that certain allocated funds Rs. 122.30 crore were during multiple years were returned and 38-79 crore diverted fund remained unspent or were re-purposed that reduced grassroots impact;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	If so, the details thereof and, if not the reasons therefor; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The corrective steps taken/proposed to be taken and the timeline fixed by the Government to ensure full utilisation of budget allocation for infrastructure and athlete support?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,



(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior
Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)
Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 4005

दिनांक: 17/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2755 Internship Policy for Promotion of Sports Ecosystem दिनांक 09.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 03.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The key features and objectives of the overall internship policy launched in December 2025 for sports ecosystem;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The details of eligible internship areas such as sports science, anti-doping, event management and player support services along with the institutional partners involved therein;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The mechanisms implemented for transition toward monitoring, certification, and formal roles for the interns who complete the programme; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether the Government proposes to develop outcome indicators to evaluate the long-term impact of the internship policy on employability and sports professionalisation, and if so, the details thereof?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,



(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफए-14/92-यू-3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 4056

दिनांक: 19/03/2026

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 15653 Status of Construction of Youth Hostel in the Country दिनांक 23.03.2026 की जानकारी बावत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 13.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The details of Youth Hostels constructed across the country, year and State/UT-wise during the last three years and the current year;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The details of funds allocated, released and utilized for the construction of Youth Hostels in the country, State/UT-wise including the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli during the last three years and the current year;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The details of the number of Youth Hostels constructed exclusively for girls particularly in Maharashtra during the last and three years and current year?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,



(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 4057

दिनांक: 19/03/2026

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:-लोक सभा तारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 13691 दिनांक 23.03.2026 की जानकारी
बावत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 13.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether it is a fact that India's performance in regard to winning medals in the Olympics games has slipped badly in 2024 Paris Olympics compared to the Tokyo Olympics 2020?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	if so, details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether Government has carried out a critical review of the whole matter and if so details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Actions being taken to improve India's performance in Olympics and other international sports events and increase the tally of medals.	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,



(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 4058

दिनांक: 19/03/2026

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:-लोक सभा अतारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 15630 Strengthening Anti-Doping Framework, Sports Integrity Standards दिनांक 23.03.2026 की जानकारी बावत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 13.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether the Government has taken any steps to upgrade doping testing standards, laboratory accreditation and regulatory oversight in order to align India's anti-doping framework with international benchmarks and whether they are benefiting at state level;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	if so, the details thereof, including capacity enhancement measures and testing coverage at grassroots State and elite levels, particularly in Dewas-Shajapur, Lok Sabha Constituency in Madhya Pradesh;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether structured awareness, preventive education and Safe Sport compliance programmes have been institutionalised for athletes, coaches and support personnel; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	If so, the details thereof, including grievance redressal mechanism and regulatory standards governing nutritional supplements and athlete support services for the Region?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,



(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी





लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 4059

दिनांक: 19/03/2026

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:-लोक सभा अतारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 16192 Fit India Campaign दिनांक 23.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 13.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The details of the main features and objectives of the Fit India Campaign;	संस्थान द्वारा फिट इंडिया मुहिम के अन्तर्गत संस्थान परिसर को प्रत्येक बुधवार को वाहन रहित योजना समस्त हेतु लागू की गई है।
(b)	The details of the major initiatives undertaken the above campaign to promote wellness and active lifestyle among different age groups and institutions;	फिट इंडिया मुहिम के अन्तर्गत संस्थान के विभिन्न विभागों द्वारा प्रत्येक रविवार को Sunday on Cycle कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।
(c)	The total number of people who have joined the Fit India Movement since its inception;	लगभग 2000
(d)	The details of the total number of educational institutions and workplaces certified as 'Fit India Schools, State/UT-wise along with the impact of the said campaign; and	04
(e)	The details of the names of the organizations participating in the said movement for the said campaign?	1.एलएनआईपीई, ग्वालियर 2. सिंधिया कन्या विद्यालय, ग्वालियर 3. गजराजा मेडिकल कालेज, ग्वालियर 4. केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 1, ग्वालियर

भवदीय,

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 4060

दिनांक: 19/03/2026

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:-लोक सभा अतारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 16191 Sports Stadiums and Complex Modern with Modern Facilities दिनांक 23.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 13.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The steps taken by the Government to identify, encourage and support talented sportspersons in rural areas;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The details of training, financial assistance, infrastructure and other facilities being provided to rural sportspersons under various Central schemes;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The details thereof, particularly with regard to Maharashtra and the Parbhani Lok Sabha Constituency; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether the Government has any proposal to establish sports stadiums or sports complexes with modern facilities in rural areas and if so, the details thereof?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 4061

दिनांक: 19/03/2026

सेवा में,

संसद अनुभाग,
भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,
सी- विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली -110001

विषय:-लोक सभा अतारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 15788 Development of Football grounds in the North-Eastern region दिनांक 23.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 13.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The details of the number of proposals received by the Government for the development of football grounds in the North-Eastern region of the country last ten years and the current year, including the dates on which such proposals received;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The details of the current status of such proposals including the number of proposals accepted, rejected and not responded to, during the said period;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The details of the funds allocated, released and utilised for the development of said grounds during the said period in the said region;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The details of the number of projects undertaken by the Government to develop said grounds in the region along with the current status of such projects including the number of said grounds operationalised, constructed, delayed and incomplete; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	The details of other measures taken by the Government to promote football in the said region?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-U.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 4062

दिनांक: 19/03/2026

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:-लोक सभा तारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 14059 Stadium Ground in Minicoy Island

दिनांक 23.03.2026 की जानकारी बावत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 13.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether the Government is aware of the present condition of the stadium ground in Minicoy Island;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether any proposal has been received from the Administration of Lakshadweep for improvement and upgradation of the said stadium ground and if so, the details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether the Government proposes to provide financial assistance under any Central Scheme for development of sports infrastructure on the island;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	If so, the details thereof, including the nature of facilities proposed to be developed such as turf improvement, seating arrangements, lighting and other basic amenities along with the timeline for implementation; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	If not, the reasons therefor?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,



(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 4063

दिनांक: 19/03/2026

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा तारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 13946 Integrated Talent Hunt Under Khelo India दिनांक 23.03.2026 की जानकारी बावत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 13.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether the Government has launched the revamped "Khelo India Mission" in Budget 2026-27 with a long-term 10-year horizon and if so, the details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether this new phase marks a strategic shift from "Event-Based" sports promotion to "Structural Transformation," focusing on talent pathways and sports science and if so, the details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The details of the "Integrated Talent Hunt" mechanism using AI-driven tests to identify potential athletes from tribal and rural belts for the 2036 Olympics;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The measures taken/being taken by the Government to ensure "Convergence" between State and Central sports infrastructure to prevent duplication of assets particularly in Bihar; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	The manner in which this mission lays the foundation for India's goal of becoming a "Top 10 Sporting Nation" by 2036?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,



(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफए-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No. F. 9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 4064

दिनांक: 19/03/2026

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:-लोक सभा अतारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 15793 Schemes for Identifying and Improving Youth Intelligence and Skills दिनांक 23.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 13.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether the Government has implemented any national schemes aimed at identifying intellectual talent and cognitive abilities among youth across the country States/UT-wise and if so, the details of programmes presently functioning to enhance analytical skills, innovation capacity and scientific temperament among school and college students;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether any nationwide assessment mechanism exists to map youth intelligence, aptitude and learning outcomes across different regions along with the details of funds allocated and utilised under the said schemes promoting youth innovation, research and intellectual development during the last three years and the current year and if so, the details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether the Government proposes to introduce specialised talent identification programs in rural and economically weaker regions;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	If so, the steps taken/being taken by the Government to integrate skill development, digital literacy and critical thinking modules within existing youth welfare and education schemes and if so, the details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University


(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)
Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 4064

दिनांक: 19/03/2026

(e)	Whether the Government has established partnerships with universities, research institutions and startups to nurture young innovators and problem solvers and if so, the details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(f)	The measures taken/being taken by the Government to promote participation of girls and socially disadvantaged youth in intelligence and innovation-based programmes;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(g)	Whether any evaluation study has been conducted to assess the effectiveness of youth development schemes and if so, the details thereof; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(h)	The future roadmap prepared by the Government to strengthen intellectual capacity, leadership qualities and global competitiveness among Indian youth?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,


(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)
Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 4119

दिनांक: 23/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:-लोक सभा तारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 16192 Sports Facilities in Sonipat Constituency दिनांक 30 03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 16.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether there is lack of sports facilities and infrastructure in the rural and semi-urban areas of Sonipat Lok Sabha constituency;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	If so, whether any scheme has been approved by the Government for the development of sports grounds, stadiums training centers and other sports infrastructure in the said area and if so, the details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether any project or sports center has been approved in the said area under Khelo India Programme and if so, the details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether any special training programmes or financial assistance has been provided to connect rural youth with special activities and encourage talent; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	If so, the details thereof and if not, the reasons therefor?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

23/03/26

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 4120

दिनांक: 23/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा तारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 16235 Status of Khelo India Proposals दिनांक 30 03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 16.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether it is a fact that around 12 proposals submitted by the Government of Tamil Nadu under the Khelo India Scheme (KIS) since 2022-23 are still pending for approval;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The details of funds sanctioned and released for sports infrastructure projects in Tamil Nadu during 2025-26, scheme wise;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether the Government has assessed the delays in approval of projects despite completion of preliminary works State Government; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	If so, the timeline by which the pending proposals received from Tamil Nadu under the Khelo India Scheme are list to be approved?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 4121

दिनांक: 23/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 15930 Draft National Policy, 2025 दिनांक 23.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 12.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The details of the key objectives and present status of the Draft n National Youth Policy ,2025, including stages of into ministerial consultation and stakeholder engagement completed so far.	संस्थान से वांछित जानकारी निरक है।
(b)	The number of consultations outreach programmes and structured interactions conducted at the national and State levels for formulation of the Draft Policy and along with the broad categories of stakeholders consulted; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरक है।
(c)	The extent to which inputs received from the State of Odisha have been incorporated in the Draft Policy, including number of submissions received and the broad areas covered ?	संस्थान से वांछित जानकारी निरक है।
(a)	The details of the key objectives and present status of the Draft n National Youth Policy ,2025, including stages of into ministerial consultation and stakeholder engagement completed so far.	संस्थान से वांछित जानकारी निरक है।

भवदीय,

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 4122

दिनांक: 23/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक दिनांक 15943 Mera Yuva Bharat Initiative in West Bengal 23.03.2026 की जानकारी बावत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 12.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The details of programmes and activities organised/conducted under the MY Bharat initiative in West Bengal, district wise, and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The funds allocated and utilised under the MY Bharat (Erstwhile Nehru Yuva Kendra) initiative during the last three years and the current year project-wise during the last 3 years and the current year?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,



(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 4/23

दिनांक: 23/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,
भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,
सी- विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारंकित प्रश्न डायरी क्रमांक 16091 Strengthening National Service Scheme दिनांक 23.03.2026 की जानकारी बावत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 12.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether any steps taken by the Government to strengthen the National Service Scheme (NSS) and if so, the data thereof;	संस्थान द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना की नियमित गतिविधियां एवं विशेष शिविर के कार्यक्रमों हेतु राशि बढ़ा दी गई है।
(b)	The total number of institutions and volunteers registered under the NSS;	संस्थान में 100 राष्ट्रीय स्वयं सेवक पंजीकृत है।
(c)	Whether the Government has observed any palpable difference between volunteers initially registered under the said scheme and those who receive a Certificate of completion; and	संस्थान द्वारा परीक्षा के उपरान्त प्रमाण पत्र वितरित किया जाता है।
(d)	If so, the steps taken to remove such a difference and the incentives provided to volunteers under the said scheme?	लागू नहीं।

भवदीय,



(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी





लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-उ3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 4/24

दिनांक: 23/03/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा तारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 13665 Financial Assistance for Athletes

From Ladakh दिनांक 23.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 12.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether the Government is aware that a large number of talented young athletes from Ladakh belong to economically underprivileged families and are unable to afford travel and accommodation costs for training camps and competitions outside the region and if so, the details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether the Government has any existing scheme to provide travel allowance, boarding and lodging facilities, nutritional support and basic health insurance to such athletes and if so, the details thereof,	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether the Government proposes to introduce a dedicated financial assistance scheme specifically for talented athletes from economically weaker backgrounds in remote and high-altitude regions such as Ladakh; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The steps taken/being taken by the Government to ensure that lack of financial resources does not prevent deserving athletes from Ladakh from participating in national-level training and competitions and that sporting opportunities are determined by merit rather than economic capacity?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

23/03/26

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/4125

दिनांक: 23/03/2026

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 15597 Promotion of Traditional Games in Tamil Nadu दिनांक 23.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 12.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether the Government has identified and documented traditional rural and tribal games of Tamil Nadu, such as Silambam, Sadugudu and Vallam Kali, for promotion under the Khelo India programme and if so, the details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether any specific initiatives have been undertaken to integrate rural and tribal youth from Tamil Nadu into Khelo India talent identification and training pathways, particularly in tribal and remote districts and if so, the details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether the Government has collaborated with educational institutions, local sports bodies and community organizations in Tamil Nadu to preserve and promote indigenous games at district, State or national levels under Khelo India programme and if so, the details thereof; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether traditional games from Tamil Nadu have been included or proposed for inclusion in Khelo India events or demonstration categories and if so, the details thereof?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र कुमार सिंह 260326

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 4126

दिनांक: 23/03/2026

सेवा में,

संसद अनुभाग,
भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,
सी- विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा तारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 14125 Implementation of the National Sports Governance Act, 2025 and Institutional Oversight Mechanisms दिनांक 23.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 12.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The current status of implementation of the National Sports Governance Act, 2025 in the recognised National Sports Federations, including the timeline stipulated for its compliance by the affiliated bodies;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The details of the composition, powers and functioning of the National Sports Board and the manner in which it undertakes recognition, monitoring and compliance review of the said Federations;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The details of the provisions with regard to governing standards, transparency requirements and player representation laid down under the Act and the status of its compliance so far,	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether any measurable impact has been observed with regard to institutional accountability, timelines for dispute resolution and the fund-linked performance monitoring mechanism;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	If so, the details thereof; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(f)	If so, the details thereof, including any corrective actions taken against non-complaint federations?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

26/03/26

(प्रो. यतन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 4127

दिनांक: 23/03/2026

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 15655 Implementation of the National Sports

Governance Act, 2025 and Institutional Oversight Mechanisms दिनांक 23.03.2026 की

जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 12.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The current status of implementation of the National Sports Governance Act, 2025 in the recognised National Sports Federations, including the timeline stipulated for its compliance by the affiliated bodies, particularly in Maharashtra;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The details of the composition, powers and operational framework of the National Sports Board and the manner in which it undertakes recognition, monitoring and periodic compliance review of the said Federations;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The details of the provisions with regard to governing standards, transparency norms, tenure restrictions, financial disclosure requirements and player representation laid down under the Act and the status of its compliance so far;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether any measurable impact has been observed with regard to institutional accountability, timelines for disputeresolution and the fund-linked performance monitoring mechanism;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	if so, the details thereof; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(f)	If so, the details thereof, including any corrective actions taken against non-complaint federations?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 4128

दिनांक: 23/03/2026

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 15678 Maintenance of Sports

Venues दिनांक 23.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 12.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether the Government is aware of incidents of bird droppings, stray animals and hygiene problems disrupting matches during the India Open 2026 at Indira Gandhi Indoor Stadium, Delhi;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The measures taken/being taken or planned by the Government to ensure safety, hygiene and proper maintenance of venues for international sporting events;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The details of the guidelines and standards followed by the Government for hosting international sports tournaments, including monitoring and accountability mechanisms; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether the Government proposes corrective or long-term measures to prevent recurrence of such issues in future international events in India and if so, the details thereof?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

23/03/2026

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 4129

दिनांक: 23/03/2026

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 15833 Status of SAI Training Centers

दिनांक 23.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 12.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The total number of the Sports Authority of India (SAI) training centers currently functioning in the country, State/ UT and district-wise, along with their category;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The number of SAI training centers approved or established during the last five years and the current year State/ UT- wise, along with the present status of each centre;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The total funds sanctioned, released and utilised for the development, upgradation or expansion of SAI training centre.during the last five years and the current year, State/UT-wise and centre-wise;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The discipline-wise sanctioned strength of sportspersons at each SAI training center and the number presently undergoing training, centre-wise;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	The sanctioned strength and staff in position at each centre, job-role-wise, along with details of vacancies;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(f)	Whether the Government proposes to establish any new SAI training centers in the country, especially in Andhra Pradesh; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(g)	If so, the details of such proposals under consideration, including State/UT-wise location, status and the expected timelines thereof?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह 23/03/26

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 4130

दिनांक: 23/03/2026

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 16018 Football Development in India दिनांक 23.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 12.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The details of the steps taken by the Government to promote the development of football in India, including grassroots programmes, school level initiatives and talent identification schemes during the last five year and the current year;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether the Government supports and implements national football development strategies such as those envisaged in the All India Football Federation's Vision 2047 roadmap, including coach education, youth engagement and expansion competitive leagues;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	If so, the details of specific policies and funding provisions made for the creation and enhancement of football-specific infrastructure such as stadia, training grounds, coaching centers and grassroots facilities across the country, States UT-wise;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The total number of football pitches, turfs and training academies established or upgraded with Government support during the last five years and the current year and their location-wise details; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	Whether the Government proposes to further strengthen football infrastructure and ecosystem to nurture talent, increase participation and improve India's competitiveness in regional and global football; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(f)	If so, the details thereof?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

(प्रो. यशेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन/308/2023/ 4131

दिनांक: 23/03/2026

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय:- लोक सभा अतारंकित प्रश्न डायरी क्रमांक 16076 (Revised 1) Renovation of Guru Gobind Singh Sports Stadium, Nanded दिनांक 23.03.2026 की जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 12.03.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether an amount of about Rs.42 crore was sanctioned for the renovation and construction of an International Standard Sports Ground at Guru Gobind Singh Stadium in Nanded;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	If so, the details of amount utilised so far and the present status of the work undertaken in the said stadium;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether it is true that despite huge expenditure on the renovation of the said stadium, it is not fully capable of hosting even district level matches;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	If so, the details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	The details of department/agencies and officers responsible for non-completion of the work as per the prescribed standards along with action taken against them; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(f)	The corrective measures taken/being taken by the Government for completion of construction work sports at the Stadium?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

(प्रो. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी